गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 के अंतर्गत स्थापित
केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)–495009
: 07752–260209, : 07752–260154
वेबसाइट : www.new.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central University Act, 2009, No. 25 of 2009)
Koni, Bilaspur (C.G.) – 495009
: 07752-260209, : 07752-260154
Website : www.new.ggu.ac.in

Accredited By NAAC Grade A++

क्रमॉक 4038../स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर, दिनॉक 08/11/2024

//अधिसूचना/Notification//

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र.3040/स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर, दिनांक 30.08.2024 के अनुक्रम में एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 189 वीं बैठक दिनांक 03.10.2024 के प्रकरण क्रमांक अ.अ.वि.क्र.09 एवं 190 वीं बैठक दिनांक 21.10.2024 के प्रकरण क्रमांक अ.अ.वि.क्र.06 में लिए गए निर्णयानुसार सुदामा योजना हेतु निर्मित नियमावली में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. सुदामा योजना निधि स्थापना एवं वितरण नियमावली के खण्ड 3(3) में योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के लेन–देन और संवितरण के लिए एक बैंक खाता होगा और ऐसे बैंक खाते का संचालन विश्वविद्यालय के कुलसचिव या वित्ताधिकारी और अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
2. सुदामा योजना निधि स्थापना एवं वितरण नियमावली के खण्ड 5 में अतिरिक्त कंडिका (4) संस्थापित की जाती है कि "विभिन्न विभागों में प्रस्तावित स्व–वित्तपोषण पाठ्यक्रमों में नामांकित/नए नामांकित छात्र जीजीवी सुदामा योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।"

संलग्नः सुदामा योजना निधि स्थापना एवं वितरण नियमावली 2024

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 4039..../स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर, दिनॉक 08/11/2024

प्रतिलिपिः

01. कुलपति महोदय/कुलसचिव के सचिव/निज सचिव की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. समस्त अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. आईटी सेल की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
05. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)